

विचार बिन्दु

कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता केवल उसको उपयुक्त काम में लगाने वाला ही कठिनाई से मिलता है। –शुकनीतिदी

भारत में घास-भूमि संकटापन्न हैं

वैश्विक स्तर पर घासयुक्त पारिस्थितिक तंत्र (जिनमें घासभूमियाँ, सवाना, झाड़ियाँ, वनों के बीच खुली भूमि तथा टुंड्रा क्षेत्र शामिल हैं) पृथ्वी की लगभग 30 से 40 प्रतिशत भूमि को आच्छादित करते हैं और जलवायु परिवर्तन के शमन एवं अनुकूलन, पशुपालन तथा सांस्कृतिक सेवाओं जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाते हैं। फिर भी, इनकी महत्ता के बावजूद, घासयुक्त पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण को वनों की तुलना में विश्व स्तर पर अपेक्षाकृत उपेक्षित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अनेक क्षेत्रों में इनकी क्षय दर वनों की तुलना में अधिक रही है।

भारत और दक्षिण एशिया में घासभूमियों को पारंपरिक रूप से ‘बेकार’ या ‘बंजर भूमि’ समझा जाता है। इस ग़ुटिपूर्ण धारणा के कारण घासभूमि पारितंत्रों को संरक्षण और महत्व नहीं मिला। परिणाम यह हुआ कि ऐसे क्षेत्र खंडित और विनष्ट हो रहे हैं। इनकी विविध जैव-विविधता तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका संकट में पड़ी है। लंबे समय तक नीति-निर्माताओं ने घासभूमियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित भी नहीं किया। प्रायः इन्हें बिगड़े वनों का हिस्सा या क्षरण-प्राप्त रूप मान लिया गया। परिणामस्वरूप, सुधार के नाम पर कई घास के मैदानों में वृक्षारोपण जैसे अनुचित हस्तक्षेप किए गए। हाल के विश्लेषण दर्शाते हैं कि वृक्ष आवरण बढ़ाने के वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने की मुहिम और घासभूमि प्रबंधन में कई सरकारी एजेंसियों की उल्लंघनभरी भागीदारी ने इन पारितंत्रों को नुकसान पहुँचाया है, और सरकारी व गैर-सरकारी संस्थानों में व्याप्त ‘वन-पक्षपात’ ने समस्या को और बढ़ाया है। विशेषज्ञों का मत है कि भारत में घासभूमियों के सफल संरक्षण व पुनर्स्थापन हेतु एक समन्वित राष्ट्रीय नीति-ढाँचे और ठोस पारितंत्र वर्गीकरण प्रणाली की आवश्यकता है।

असल में घासभूमियाँ पारिस्थितिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये पारितंत्र अनेक पारिस्थितिकी सेवाएँ प्रदान करते हैं और जैव विविधता का पोषण एवं संरक्षण करते हैं। कई घासभूमि क्षेत्रों में वनस्पति और जीवों की अनूठी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से बहुत-सी केवल इन्हीं आवासों तक सीमित (स्थानिक) है। उदाहरण के लिए, राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क जहाँ गोडावण प्रजाति पाई जाती है, जैसी घासभूमि में सैकड़ों पौधों की प्रजातियाँ पाई गई हैं। घासभूमियाँ अनेक विविध वन्यजीवों और वनस्पतियों को आश्रय देते हैं। इनके बने रहने से जल-संचय जैसी पारिस्थितिक सेवाएँ भी मिलती हैं। पश्चिमी घाट की पर्वतीय घासभूमियाँ जिन्हें शोला कहा जाता है, पर शोध से पता चला है कि यदि वहाँ फैल रहे विदेशी पेड़ों (जैसे यूकेलिटप्स, ऐशियाण), को हटाकर मूल घास मैदान को बहाल किया जाए तो जलधारा प्रवाह बढ़ता है।

फिर भी, अपने बहुमूल्य महत्व के बावजूद भारत की घासभूमियाँ अनेक गम्भीर संकटों का सामना कर रही हैं। भूमि-उपयोग परिवर्तन इनमें सबसे प्रमुख है: विशाल घासभूमि क्षेत्रों की कृषि, वनीकरण या विकास परियोजनाओं हेतु परिवर्तित किया जा चुका है। पश्चिमी भारत के थार मरुस्थलीय क्षेत्र में कई अहम घास के मैदान बड़ती मानव आबादी और विकास के दबाव के चलते खेतों में बदले जा चुके हैं।

तराई-दुआर जैसे इलाकों में स्थिति और भी चिंताजनक है, जहाँ हिमालय की तलहटी की अधिकांश घासभूमि पहले ही कृषि और शहरीकरण की भेंट चढ़ चुकी है। जो थोड़े-बहुत घासस्थल बचे हैं, वे भी धीरे-धीरे झाड़ियों और वृक्ष पनपने से सिकुड़ रहे हैं। भारत-नेपाल के संरक्षित तराई-दुआर क्षेत्रों में पिछले तीन दशकों में घासभूमि क्षेत्रफल में लगभग 3.4 प्रतिशत की कमी आई, जबकि वनों/झाड़ियों का आवरण 8–9 प्रतिशत बढ़ गया है। स्पष्ट है कि कई घासस्थलों में कांशीय वनस्पतियों का अतिक्रमण जारी है, जिससे खुले घास के मैदान सिकुड़ते जा रहे हैं।

घासभूमियों पर दूसरा बड़ा संकट बाहरी आक्रामक प्रजातियों (इनवेसिव स्पीशीज) का फैलाव है। देश के विभिन्न भागों में कई अनावश्यक खरपतवार और लताएँ प्राकृतिक घासभूमियों में घुसपैठ कर रही हैं।

असम के मानस तथा काजीरंगा जैसे राष्ट्रीय उद्यानों के घासस्थलों में क्रोमोलेना ऑडोराटा और मिकेनिया माइक्रांथा जैसी आक्रामक प्रजातियाँ तेजी से फैलकर घास के स्थान पर घनी झाड़ियाँ बना रही हैं। ये अवांछित पौधे हाथी, गैडे, बारहसिंगा आदि बड़े शाकाहारी जीवों के लिए उपलब्ध चारा और आवरण को घटा देते हैं। एक सींग वाले गैडे के मामले में शिकार रोकने पर तो ध्यान है, मगर घासभूमि में फैलती इन खरपतवारों पर नहीं। यदि यह स्थिति यूँ ही जारी रही तो गैडे समेत अन्य घासभूमि-निर्भर जीवों के लिए उपयुक्त भोजन और आवास लगातार घटते जाएँगे। पश्चिम भारत की सूखी चारागाह भूमि पर प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक काटेदार विदेशी वृक्ष बड़ा संकट बन चुका है। गुजरात के कच्छ जिले की बनी घासभूमि में प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के भारी प्रसार ने कई देशज पेड़-झाड़ियों को पीछे ढकेल दिया है।

यहाँ तक कि औषधीय महत्व की दुर्लभ गुल्लुप जैसी स्थानीय प्रजाति की संख्या इन झाड़ियों के बढ़ने से घट गई है। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के आक्रमण से घासभूमि की संरचना बदल जाती है – भले ही कुल प्रजाति संख्या में कुछ खरपतवारों की मौजूदगी से बढ़ोतरी दिखे, पर महत्वपूर्ण स्थानिक प्रजातियाँ और पौष्टिक घासें कम हो जाती हैं। आक्रामक प्रजातियों का बेकाबू फैलाव घासभूमि पारितंत्र को गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों घटा देता है।

प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के आक्रमण से घासभूमि की संरचना बदल जाती है - भले ही कुल प्रजाति संख्या में कुछ खरपतवारों की मौजूदगी से बढ़ोतरी दिखे, पर महत्वपूर्ण स्थानिक प्रजातियाँ और पौष्टिक घासें कम हो जाती हैं। आक्रामक प्रजातियों का बेकाबू फैलाव घासभूमि पारितंत्र की गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों घटा देता है।

घासभूमि पारितंत्रों का प्राकृतिक अंग रही है – समय-समय पर नियंत्रित आग से पुरानी घास हटकर नई घास का अंकुरण होता है और वृक्षों का अत्यधिक बढ़ना थमता है। लेकिन आज कई अभयारण्यों में आग का संतुलन बिगड़ गया है: कहीं हर साल अनियंत्रित आग लगने से कुछ हिस्से बार-बार जलते हैं, तो कहीं आग पूरी तरह रोक देने से झाड़ियाँ बेरोकटोक फैल जाती हैं। तराई के अभयारण्यों में उपग्रह आंकड़ों से पता चला है कि पार्क के भीतर सड़कों के किनारे आग की घटनाएँ अंदरूनी हिस्सों की तुलना में कहीं अधिक होती हैं, जिससे वे घास के मैदान बाबांवार जलकर क्षीयगस्त हो रहे हैं। पश्चिमी घाट में भी आग-निषेध की नीति के फलस्वरूप कई घासभूमियाँ वनों में तब्दील हो गई हैं। इसलिए आग का न तो अतिप्रयोग हो और न ही पूरा निषेध – संतुलित अग्नि प्रबंधन घासभूमि के लिए आवश्यक है।

घासभूमि पारितंत्रों पर हाल के वैज्ञानिक अध्ययनों से इन प्रणालियों की जटिलता पर नई रोशनी पड़ रही है। एक नियंत्रित प्रयोग में शुष्क उष्णकटिबंधीय घासभूमि की कुल प्राथमिक उत्पादकता वर्षों बढ़ते पर बढ़ गई, पर यह वृद्धि मुख्यतः घास (प्रीमिर्नाईड) प्रजातियों से आई; चौड़ी पत्ती फ़ोर्ब प्रजातियों में ऐसा लाभ नहीं देखा गया। वास्तव में कुछ फ़ोर्ब प्रजातियाँ बहुत कम या बहुत अधिक चराने, दोनों परिस्थितियों में घट गई – जिससे संकेत मिलता है कि वर्षा पैटर्न में बड़े बदलाव इन संवेदनशील प्रजातियों को नुकसान पहुँचा सकते हैं और घासभूमि की जैव-विविधता को बदल सकते हैं। घासभूमियों की उत्पादन क्षमता मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता पर भी निर्भर करती है। पश्चिमी भारत की बनी घासभूमि में फॉस्फोरस की कमी को घास उत्पादन घटने का प्रमुख कारण पाया गया है; लेकिन नियंत्रित मध्यम चराई जैसे प्रबंधन से मिट्टी में पोषक चक्रण बढ़ाकर घासभूमि की उत्पादकता और स्थायित्व सुधारा जा सकता है। अंत में, घासभूमियों के पुनर्स्थापन से कार्बन भंडारण क्षमता भी बढ़ सकती है। एक अध्ययन के अनुसार अर्ध-शुष्क सवाना घासभूमियों में बहाली के केवल तीन वर्षों बाद मिट्टी के कार्बन भंडार बिना बहाली वाले स्थलों की तुलना में लगभग 3.5 प्रतिशत अधिक पाए गए। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि प्रभावी संरक्षण और बहाली से ये घासभूमियाँ प्राकृतिक ‘कार्बन सिंक’ की तरह कार्य कर सकती हैं।

इन चुनौतियों को देखते हुए भारत में घासभूमियों की रक्षा, सतत प्रबंधन और पुनर्स्थापन के लिए बहुआयामी रणनीतियाँ अपनाना अत्यावश्यक है। सबसे पहले, नीति-निर्माण के स्तर पर घासभूमियों को उनका उचित स्थान देना होगा। जब तक राष्ट्रीय स्तर पर घासभूमियों को एक अलग और महत्वपूर्ण पारितंत्र के रूप में मान्यता देकर उन्हें ‘वेस्टलैंड’ या निम्न श्रेणी के दर्जे से बाहर नहीं निकाला जाता, तब तक इनके साथ होने वाला भेदभाव समाप्त नहीं होगा। एक समग्र राष्ट्रीय घासभूमि नीति तथा स्पष्ट पारितंत्र-वर्गीकरण ढाँचे की आवश्यकता है, जिससे संरक्षण और प्रबंधन प्रयासों को सही दिशा मिल सके।

स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों के अनुसार विकेन्द्रीकृत योजनाएँ बनानी होंगी। दक्षिण भारत की कंगयम घासभूमि इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ स्थानीय किसानों ने लगभग 150 वर्षों से घेराबंदी कर चराई को नियंत्रित करते हुए, अंतगल पर चारा फसलें उगाते हुए और जल-संचयन व सिंचाई का उपयोग करके इस शुष्क क्षेत्र की घासभूमि को सतत उत्पादक बनाए रखा है। सुनिश्चित भू-अधिकार और सामुदायिक सहयोग की बदौलत यह चारागाह एक सदी से अधिक समय तक स्थिर बना रहा, जो दर्शाता है कि समुदाय-आधारित प्रबंधन घासभूमि संरक्षण में अत्यंत प्रभावी हो सकता है।

आक्रांत वनस्पतियों से प्रभावित घासभूमियों में उन्हेँ नियंत्रित करने और हटाने के विशेष उपाय ज़रूरी हैं। कच्छ की बनी घासभूमि में प्रोसोपिस का प्रसार रोकने के लिए एक अध्ययन में यांत्रिक उन्मूलन (झाड़ियों को जड़ समेत हटाना) और आंशिक छंटाई (लॉपिंग) दो तरीकों का परीक्षण किया गया।

परिणामों के अनुसार प्रोसोपिस को पूर्णतः हटाने पर घासभूमि की देशी वनस्पति आवरण और प्रजाति विविधता, निर्यंत्रण की तुलना में तीन से छह गुना तक बढ़ गई, जबकि केवल छंटाई से विशेष लाभ नहीं हुआ। हालाँकि प्रोसोपिस का पूरी तरह उन्मूलन महंगा है और कुछ स्थानीय लोग ईंधन-चारे के लिए उस पर निर्भर हैं, इसलिए विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि बहाली के दौरान कुछ भाग प्रोसोपिस युक्त छोड़ना और शेष को प्रोसोपिस मुक्त रखना एक व्यावहारिक समाधान हो सकता है। राजस्थान के घासबीड़ में भी प्रोसोपिस हटाना आवश्यक है। संरक्षित क्षेत्रों में सक्रिय खरपतवार निरांत्रण अपनाकर भी घासभूमियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है, और इसके परिणाम अच्छे मिले हैं। असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में पार्क प्रबंधन तथा अन्य संगठनों ने मिलकर क्रोमोलेना जैसी खरपतवारों को काटकर-जलाकर दर्जनों हेक्टेयर घासभूमि बहाल की है और बेहतर गायत और निगरानी द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये आक्रामक प्रजातियाँ फिर फिर न उठा सकें। जहाँ घासभूमि में झाड़ियों/वृक्षों का अतिक्रमण बढ़ रहा हो, वहाँ नियंत्रित आग और नियोजित चराई जैसे हस्तक्षेप अपनाकर घासभूमि को खुले स्वरूप में बनाए रखा जा सकता है। अंत में, घासभूमि संरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी, वैज्ञानिक समझ और शासन की दृढ़ इच्छाशक्ति – इन तीनों की आवश्यकता है। तभी हम सुनिश्चित कर पाएँगे कि ये मूल्यवान घासभूमि पारितंत्र भविष्य के लिए सुरक्षित रहें और ‘बंजर भूमि’ समझकर की जाने वाली उपेक्षा से मुक्त हो सकें।

–**अतिथि सम्पादक,**
डॉ. दीप नारायण पाण्डेय
(भारतीय वन सेवा से सेवानिवृत्त तथा वर्तमान में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में विजिटिंग प्रोफेसर)
(यह लेखक के निजी विचार हैं और ‘सार्वभौमिक कल्याण के सिद्धांत’ से प्रेरित हैं)

महिला सशक्तिकरण में राजस्थान : योजनाओं से आत्मनिर्भरता तक की यात्रा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने महिला सशक्तिकरण को मात्र नीतिगत घोषणा नहीं, बल्कि आंकड़ों से प्रमाणित सामाजिक परिवर्तन में रूपांतरित किया है



डॉ. मंजू बाघमार

किसी भी राज्य की प्रगति का सबसे विश्वसनीय पैमाना उसकी महिलाओं की स्थिति होती है। जब महिलाएँ शिक्षित, स्वस्थ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर होती हैं, तभी समाज का संतुलित और टिकाऊ विकास संभव होता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने इस मूल सत्य को शासन की प्राथमिकता बनाते हुए महिला सशक्तिकरण को नीतिगत संकल्प,

प्रशासनिक प्रतिबद्धता और ठोस क्रियान्वयन के साथ आगे बढ़ाया है। इसके परिणाम आज अद्यतन आंकड़ों और ज़मीनी बदलाव के रूप में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि महिला सशक्तिकरण किसी एक विभागीय योजना तक सीमित नहीं, बल्कि सरकार के समग्र शासन दर्शन का केंद्रीय स्तंभ है। यही कारण है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और महिला सुरक्षा सहित हर क्षेत्र में महिला-केंद्रित योजनाओं को ठोस गति मिली है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में सामाजिक सुरक्षा सबसे मजबूत आधार है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 91 लाख पेंशनधारकों के खातों में 1,100 करोड़ की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से हस्तांतरित की गई। पालनहार योजना के अंतर्गत 5.95 लाख लाभार्थियों को 103 करोड़ की सहायता प्रदान की गई, जिससे अनाथ, परित्यक्त और असहाय बच्चों की परवरिश करने वाली महिलाओं को आर्थिक संबल मिला।

बालिका एवं महिला शिक्षा को

मजबूती : उच्च शिक्षा में बालिकाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 5,000 छात्राओं को 2.5 करोड़ की सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की 1.55 लाख छात्राओं को 15 करोड़ की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति दी गई, जिससे सामाजिक समानता और शिक्षा में भागीदारी को मजबूती मिली।

लाडो प्रोत्साहन योजना को अब लक्षित और प्रभावी स्वरूप दिया गया है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 4.6 लाख बालिकाओं को 1.5 लाख तक की आर्थिक सहायता किरतों में प्रदान की जा रही है। यह योजना बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक संरक्षित करने का सशक्त माध्यम बन रही है।

महिला स्वास्थ्य को मानवीय दृष्टिकोण से सुदृढ़ करते हुए सरकार ने 1.22 करोड़ महिलाओं एवं किशोरियों को निःशुल्क मासिक सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए हैं। मातृत्व सहायता राशि को बढ़ाकर 6,500 किया गया है,

जिससे अब तक लगभग 10 लाख गर्भवती महिलाएँ लाभान्वित हुई हैं।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत राजस्थान ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी की शुरुआत की है। इससे राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है, जहाँ लाभार्थी अब अन्य राज्यों में भी कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

वर्तमान में राज्य में 1,800 अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं तथा देशभर के 31,000 से अधिक अस्पतालों को इससे जोड़ने की प्रक्रिया जारी है।

प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित होकर राजस्थान सरकार ने 19.45 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिनमें से 12 लाख से अधिक महिलाएँ ‘लखपति दीदी’ के रूप में आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। महिला उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए 5,000 लखपति दीदियों को 100 करोड़ की ऋण सहायता दी गई है।

साथ ही लखपति दीदी, कृषि सखी और पशु सखी को टैबलेट वितरण कर उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाया गया है।

महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जैसलमेर-बाड़मेर जिलों में “गोडावण” को मिलेगा जीवनदान

14 वर्ष बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला गोडावण बचाने के क्रम में आया है, कोर्ट ने जैसलमेर-बाड़मेर में बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाने का फैसला सुनाया

जैसलमेर, (निः)। पवन चक्की, सौर ऊर्जा की कंरंट वाली लाइनों की चपेट में आने से जैसलमेर-बाड़मेर जिलों में गोडावण की अकाल मृत्यु हो रही है। 2011 में तत्कालीन जिला कलैक्टर गिरिराजसिंह कुशवाह द्वारा इन लाइनों को अंडरग्राउंड करवाने के लिये केंद्र एवं राज्य सरकार को पत्र लिखा था, अब 14 वर्ष बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला गोडावण बचाने के क्रम में आया है।जैसलमेर-बाड़मेर में बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स पर न्यायालय ने रोक लगाने का निर्णय सुनाया है।

राज्य पक्षी गोडावण को विलुप्त होने से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक और सख्त फैसला सुनाया है। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अतुल चांड्रकर की पीठ ने गोडावण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राजस्थान और गुजरात के कुल 14 हजार 753 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बड़े सोलर पार्क, पवन ऊर्जा परियोजनाओं और हाईटेंशन ओवरहेड बिजली लाइनों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पूर्व आईएएस अधिकारी और पर्यावरणविद् एम. के. रंजीत सिंह द्वारा दायर याचिका जिसमें कहा गया है कि गोडावण के विचरण क्षेत्र में तेजी से फैल रही सोलर और विंड परियोजनाएँ और बिजली लाइनें इस दुर्लभ पक्षी के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी हैं, पर न्यायालय द्वारा शुक्रवार 19 दिसम्बर को फैसला सुनाते हुए ऐतिहासिक टिप्पणी की, जिसका सबसे ज्यादा असर जैसलमेर और बाड़मेर जिलों पर पड़ेगा। गोडावण राजस्थान की आत्मा है। अगर यह पक्षी खत्म हुआ, तो यह हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी पर्यावरणीय विफलता होगी।

कोर्ट ने कहा कि जैसलमेर-बाड़मेर में काम कर रही ऊर्जा कंपनियों को अपनी सीएसआर राशि



- गोडावण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राजस्थान और गुजरात के 14 हजार 753 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बड़े सोलर पार्क, पवन ऊर्जा परियोजनाओं और हाईटेंशन ओवरहेड बिजली लाइनों पर रोक लगा दी है**
- पीठ ने अपने आदेश में माना कि जैसलमेर-बाड़मेर क्षेत्र में गोडावण की मौत का सबसे बड़ा कारण हाईटेंशन बिजली लाइनों से टकराव है, खुले रेगिस्तानी इलाकों में उड़ते समय गोडावण को तार दिखाई नहीं देते और टकराकर इनकी मौत हो जाती है**
- 2011 में तत्कालीन जिला कलैक्टर गिरिराजसिंह कुशवाह ने पवन चक्की, सौर ऊर्जा की कंरंट वाली लाइनों की चपेट में आने से गोडावण की हो रही अकाल मृत्यु को लेकर इन लाइनों को अंडरग्राउंड करवाने के लिये केंद्र एवं राज्य सरकार को पत्र लिखा था**

गोडावण और पर्यावरण संरक्षण पर खर्च करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में गोडावण के लिए संरक्षित क्षेत्र बढ़ाकर 14 हजार 13 वर्ग किलोमीटर कर दिया है। इसमें जैसलमेर के सम, पोकरण, लाठी, धोलीया, चाचा, ओढ़ाणिया और बाड़मेर से सटे कई इलाके शामिल हैं। इन क्षेत्रों में अब 2 मेगावाट से बड़े

नए सोलर प्रोजेक्ट, नई पवन चक्कियाँ और हाईटेंशन ओवरहेड बिजली लाइनें नहीं लगाई जा सकेंगी। पीठ ने अपने आदेश में माना कि जैसलमेर-बाड़मेर क्षेत्र में गोडावण की मौत का सबसे बड़ा कारण हाईटेंशन बिजली लाइनों से टकराव है। खुले रेगिस्तानी इलाकों में उड़ते समय गोडावण को तार दिखाई नहीं

देते और टकराकर उसकी मौत हो जाती है।

इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने 33 केवी, 66 केवी और कई जगह 400 केवी तक की मौजूदा बिजली लाइनों को अंडरग्राउंड करने या दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश दिया है। लगभग 250 किलोमीटर लंबी बिजली लाइनों को अगले दो वर्षों में

